

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी

परीक्षा हेतु गठित सचल-दस्ता के लिए आवश्यक निर्देश

1. आप अवगत हैं कि परीक्षा को सुचारु रूप से सम्पन्न कराने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य केन्द्राध्यक्ष नियुक्त रहेंगे। केन्द्राध्यक्ष का यह दायित्व है कि विश्वविद्यालय के आदेशों का पालन करते हुए अपने परीक्षा केन्द्र पर नकल विहीन परीक्षा सम्पन्न करावें तथा विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त सचल-दस्ता को जाँच कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें अन्यथा केन्द्राध्यक्ष को हटा कर दूसरा केन्द्राध्यक्ष/पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया जाएगा। केन्द्राध्यक्ष के दण्ड निर्धारण हेतु परीक्षा समिति निर्णय करेगी।
2. संयोजक सचल-दस्ता परीक्षा केन्द्रों के सम्बन्ध में समन्वयक सचल-दस्ता टीम से गोपनीय आख्या प्राप्त कर संलग्न प्रोफार्मा पर प्रति सप्ताह परीक्षा नियंत्रक को प्रेषित करेंगे।
3. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार की अव्यवस्था हो तो टीम के समन्वयक इसकी सूचना फ़ैक्स या दूरभाष के माध्यम से विश्वविद्यालय को तुरन्त भेजेंगे।
4. संवेदनशील/अति संवेदनशील परीक्षा केन्द्रों का संयोजक विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही परीक्षा केन्द्रों के बारे में समन्वयक सामूहिक नकल/समूह में नकल होने की स्पष्ट संस्तुति करेंगे।
 - (a). सचल-दस्ता के सदस्य परीक्षा कक्ष में यदि सामूहिक रूप से नकल कराये जाने अर्थात् ब्लैक बोर्ड से लिखवाने अथवा पुस्तक से बोल कर लिखाने की स्थिति से अवगत हैं तो तत्काल विश्वविद्यालय को अवगत करायेंगे।
 - (b). एक परीक्षा कक्ष में अधिकांश परीक्षार्थी नकल सामग्री से नकल करते अथवा अपने पास नकल सामग्री (मुद्रित अथवा हस्तलिखित अथवा इण्टरनेट अथवा इलेक्ट्रानिक गैजेट से उपलब्ध) रखे हुए अथवा नकल करते पकड़े जाएँ तो ऐसी स्थिति में भी समूह में नकल करने/सामूहिक नकल की संस्तुति की जाएगी।
- (C). उड़ाका दल के पहुँचने पर यदि परीक्षा केन्द्र का मुख्य गेट बन्द रहता है और शीघ्र खोला नहीं जाता है तथा अन्दर जाने पर नकल सामग्री परीक्षा कक्ष के बाहर फेकी हुई पायी जाती है अथवा परीक्षा केन्द्र के किसी कर्मचारी द्वारा उसे जल्दी-जल्दी इकट्ठा किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल विश्वविद्यालय को अवगत कराया जायेगा। यदि गेट का ताला तत्काल नहीं खोला जाता है तो उड़ाका दल ताला तोड़ने हेतु अधिकृत होंगे।
5. परीक्षार्थी यदि परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा परीक्षा समाप्त होने के पश्चात् उत्तर पुस्तिका लिखते पाये जायेगे तो उस महाविद्यालय को सामूहिक नकल का दोषी माना जायेगा।
6. यदि उत्तर पुस्तिका अवांछित स्थलों यथा-परीक्षा कक्ष अथवा परीक्षा केन्द्र के बाहर पाई जायेगी तो उन्हें भी सामूहिक नकल के अन्तर्गत माना जायेगा।
7. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल हो रही हो तो समन्वयक सचल-दस्ता टीम समूह में नकल में प्रयुक्त नकल सामग्री को इकट्ठा कर एक पैकेट में सील करके केन्द्राध्यक्ष के हस्ताक्षर के उपरान्त विश्वविद्यालय को हस्तगत कराएंगे। यदि परिस्थितियाँ आक्रामक हों तो नकल सामग्री को स्वयं सील कर विस्तृत आख्या के साथ परीक्षा नियंत्रक को हस्तगत करा देंगे तथा सम्भव हो तो स्थानीय पुलिस स्टेशन/पुलिस चौकी को आक्रामक स्थिति की सूचना देंगे।
8. यदि किसी परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य व्यक्ति परीक्षा देते हुए पाया जायेगा तो उस व्यक्ति के विरुद्ध केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी तथा सम्बन्धित परीक्षार्थी की परीक्षा निरस्त करते हुए विधिक कार्यवाही की जायेगी।
9. समन्वयक सचल-दस्ता टीम अनुचित साधन प्रयोग का बिन्दु संख्या-04 (A से तथा B तक) में पकड़े गए छात्र से उसका वक्तव्य प्रपत्र KV-8A में भरवायेगा। यदि परीक्षार्थी इस कालम को भरने से इंकार करता है तो कक्ष निरीक्षक/केन्द्राध्यक्ष द्वारा स्पष्ट रूप से उस कालम में यह अंकित किया जाएगा कि परीक्षार्थी ने अपना वक्तव्य देने से इंकार किया। अन्यथा की स्थिति में सचल दस्ता की निर्देशावली में उल्लंघन माना जाएगा।

10. समन्वयक, सचल-दस्ता टीम अनुचित साधन प्रयोग में उड़ाका दल द्वारा पकड़ी गई उत्तर पुस्तिका को प्रपत्र KV-8A प्राप्त कर पूरित करने के पश्चात सम्बन्धित केन्द्राध्यक्ष को ही हस्तगत करा देंगे। पकड़ी गई अनुचित साधन सामग्री पर समन्वयक एवं टीम के अन्य सदस्य अपना हस्ताक्षर अवश्य करेंगे।
 11. सचल-दस्ता द्वारा पकड़े गए परीक्षार्थियों की कक्षा/अनुक्रमांक, विषय, प्रश्न पत्र आदि विवरण तिथि सहित समन्वयक सचल-दस्ता विश्वविद्यालय में संयोजक/अधीक्षक, (अनुचित साधन प्रकोष्ठ) को परीक्षा तिथि को ही सायं तक उपलब्ध करायेंगे।
- नोट :- समस्त केन्द्राध्यक्ष उपर्युक्त निर्देशों को भली-भाँति पढ़ेंगे तथा कक्षा निरीक्षकों को अवगत कराएंगे एवं तदनुरूप उड़ाका दल के कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव